न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पूर्णियाँ

सत्रवाद संख्या 475/2018
सी0आई0एस संख्या 475/2018
सरकार बनाम मो0 ताहीद आलम एवं अन्य

के. हाट (सहायक) थाना काण्ड संख्या 165/2018, अंतगर्त धारा 302/34 भा0.द0.वि0.।
के प्रकरण में:–

राज्य

(द्वारा– अब्दुल रजाक, पिता – स्व0 मो0 इस्माइल, साकिन– इस्लाम नगर, माधोपाड़ा, थाना– के हाट (सहायक) , जिला–पूर्णियाँ)

.... अभियोजन

बनाम

1. तौहीद आलम, पिता– मो0 जलील ,उम्र लगभग 40 वर्ष,
2. रौशन खातुन, पति– तौहीद आलम ,उम्र लगभग 36 वर्ष,

साकिन– इस्लामनगर, माधोपारा, थाना–के हाट (सहायक), जिला–पूर्णियाँ।

.... अभियुक्त

अभियोजन की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल राजा, अपर लोक अभियोजक।
बचाव पक्ष की ओर से :– विद्वान अधिवक्ता अंदलीब मोनू ।

अपराध कारित किए जाने की तिथी :–	17.03.2018
प्राथमिकी की तिथी :–	17.03.2018
आरोप पत्र की तिथी :–	14.06.2018
संज्ञान की तिथी :–	06.07.2018
दौरा सुपुर्दगी की तिथि:–	01.10.2024
आरोप गठन की तिथी :–	28.10.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथी :–	12.11.2024
बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. :–	28.07.2016
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथी :–	29.07.2026
निर्णय की तिथी :–	29.07.2026

सजा की तिथी, यदि कोई हो तो :– शून्य (अभियुक्तों को रिहा किया गया)

निर्णय की तिथी :– 29.07.2026

उपस्थित :– देशमुख,
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियाँ।

निर्णय

1. उपरोक्त उल्लिखित अभियुक्तगण 1. तौहीद आलम एवं 2. रौशन खातुन को धारा 302/34 भा0.द0.वि0. के आरोप हेतु आरोपित किया गया है जिनके वाद का विचारण प्रस्तुत निर्णय में निम्नवत किया गया है।

2. सूचक अब्दुल रजाक के फर्दबयान के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दि0 16.03.2018 को सूचक के भतीजा नदीम एवं सूचक का पड़ोसी मो0 तौहीद आलम के पुत्र के बीच खेलने के क्रम में वाद विवाद हुआ जिस बात को लेकर दि0 17.03.2018 को सुबह 11 बजे जब सूचक अपने घर पर था तब तौहीद आलम एवं रौशन खातुन सूचक के परिवार को गाली गलोज करने लगा और जब सूचक ने मना किया तो दोनों ने उसके साथ धक्का मुक्की की। हल्ला सुनकर सूचक की पत्नी सबाना खातुन, भाभी तब्सुम खातुन एवं

अपसाना खातुन आकर झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की तो वे लोग उनके साथ भी मारपीट एवं गाली गलौज किये । स्थानीय लोगों ने समझा बुझा कर सूचक वगैरह को घर के अंदर भेज दिया। उसी समय सूचक का पिता मो0 इस्माइल जब सड़क से घर की तरफ आ रहे थे तो तौहीद आलम एवं उसकी पत्नी रौशन खातुन गाली गलौज करते हुए जान मारने की नियत से फैट मुक्का से उन्हें मारने लगे और गंभीर रूप से घायल कर दिया जिनके इलाज हेतू जब वो लोग सदर अस्पताल पूर्णियॉ जा रहे थे तो रास्ते में ही सूचक के पिता की मृत्यु हो गई। शव को वापस अपने घर के पास लेकर आए । सूचक को विश्वाष है कि तौहीद आलम और रौशन खातुन ने मारपीट कर मो0 इस्माइल को गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया जिस मारपीट को सूचक वगैरह घर से निकलकर देखे थे। तद्नुसार औपचारिक प्राथमिकि दि0 17.03.2018 को दर्ज किया गया।

3. सूचक अब्दुल रजाक के फर्दबायन के आधार पर प्राथमिकी के नामित अभियुक्तगण 1. मो0 तौहीद आलम एवं 2. रौशन खातुन के विरूद्ध दिनांक 17.03.2018 को **के हाट (सहायक) थाना काण्ड संख्या 165/2018** धारा 302/34 भा0.द0.वि0. के अंतर्गत संस्थित किया गया तथा अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता ने काण्ड के प्राथमिकि अभियुक्तगण 1. मो0 तौहीद आलम एवं 2. रौशन खातुन के विरूद्ध वास्ते आरोप अंतर्गत धारा 302/34 भा0.द0.वि0. हेतू **आरोप–पत्र सं0 82/2018** दिनांक 14.06.2018 को समर्पित किया गया तथा अनुसंधान करना बंद किया गया जिसके अनुक्रम में तत्समय वि0 न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2018 के आदेश द्वारा, तद्नुसार, अभियुक्तगण 1. मो0 तौहीद आलम एवं 2. रौशन खातुन के विरूद्ध धारा 302/34 भा0.द0.वि0. के अपराध हेतु **संज्ञान** लिया गया। तद्पोरांत प्रश्नगत वाद को अग्रतर कार्रवाई हेतु नियत किया गया।

आदेश दिनांक 01.10.2024 के द्वारा अभिलेख को **दौरा सुपूर्द** किया गया।

4. दिनांक 28.10.2024 को, तद्नुसार, उपरोक्त उल्लिखित अभियुक्तगण 1. मो0 तौहीद आलम एवं 2. रौशन खातुन के विरूद्ध धारा 302/34 भा0.द0.वि0. के अंतर्गत औपचारिक रूप से **आरोप का गठन** किया गया था तथा आरोप को हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे सुनकर अभियुक्त दोष से इंकार करते हैं तथा विचारण का दावा करते हैं।

5. अभियुक्त का **बयान** धारा 313 दं0.प्र0.सं0 के अंतर्गत दिनांक **28.07.2026** को अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्तों ने अभियोजन के आरोप से इंकार करते हुए स्वयं को निर्दोष कहा है तथा पुलिस द्वारा गलत ढ़ंग से केस में फंसाये जाने की बात कही गयी है।

6. न्यायालय के समक्ष **विचारणीय प्रश्न** यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लाये गये आरोपों को अभियोजन द्वारा युक्ति–युक्त संदेहों से परे रहकर सिद्ध करने में सफल रहा है ?

मन्तव्य

7. विचारण के कम में **अभियोजन की ओर से** अपने समर्थन में दो (2) साक्षी, अभियोजन साक्षी संख्या– 1. अब्दुल रजाक (स्वंय सूचक) , अभियोजन साक्षी संख्या– 2. डॉ ए अहाद (डॉक्टर) का साक्ष्य कराया गया है।

अभियोजन के द्वारा निम्न प्रदर्श को अंकित कराया गया।

प्रदर्श संख्या	विवरण
प्रदर्श–P.1	फर्दबयान पर सूचक का हस्ताक्षर।
चिन्ह् - X	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की कार्बन कॉपी।
प्रदर्श– 2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

साक्षियों की उपस्थिति हेतू दि0 12.11.2024 को सम्मन, दि0 04.01.2025 को जमानतीय अधिपत्र, दि0 24.08.2025 को एस.पी पूर्णियॉ, डी.एम पूर्णियॉ एवं अपर लोक अभियोजक को नोटीस निर्गत किया गया तथा अंतिम अवसर प्रदार करते हुए दि0 19.06.2026 को अपर लोक अभियोजक को अभिलेख का अवलोकन कराया गया परंतु कोई अन्य साक्ष्य उपस्थित नहीं हुआ। अंततः अभियोजन साक्ष्य **दिनांक 21.07.2026** को बंद किया गया तथा अभियुक्तों का बयान **दिनांक 28.07.2026** को दर्ज किया गया।

बचावपक्ष की ओर से पर्याप्त अवसर के वाद भी, न तो कोई मौखिक साक्ष्य न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

साक्षियों के अभिसाक्ष्य का संकलन

8. **अभियोजन साक्षी संख्या– 1 अब्दुल रजाक (स्वंय सूचक) ने अपने मुख्य परीक्षण में** बताया है कि घटना लगभग 6–7 साल पहले की 10–11 बजे दिन के समय का था। साक्षी काम से घर से बाहर रजनी चौक के पास गये थे। घर आए तो देखे कि उनके पिताजी इस्माइल को उनकी भाभी आदि के साथ अस्पताल लेकर जा रहे थे। अस्पताल में ईलाज के कम में इस्माइल की मृत्यु हो गई। तौहीद और उसकी पत्नी रौशन खातुन से इस्माइल का झगड़ा हुआ था। पुलिस आई और साक्षी का फर्दबयान लिया जिसपर साक्षी का हस्ताक्षर है, जिसे वह पहचानता है, जिसे **प्रदर्श पी.1** अंकित किया जाता है। पुलिस ने मृतक पिता इस्माइल का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी बनाया, यही वह मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की कारवन कॉपी है जिसपर साक्षी का हस्ताक्षर है, जिसे साक्षी पहचानता है, जिसे चिन्ह् X अंकित किया जाता है।

न्ययालय में उपस्थित अभियुक्त तौहीद और रौशन को देखकर साक्षी पहचानते है।

बचावपक्ष के ओर से इन्होंनें अपने प्रतिपरीक्षण में बताया हैं कि तौहीद और रौशन उनके रिस्तेदार है। घटना के लगभग एक माह पूर्व तौहीद और साक्षी के पिता इस्माईल का झगड़ा हुआ था जमीन को लेकर। साक्षी के पिता इस्माईल के मृत्यु में इन दोनों अभियुक्तों का हाथ नहीं है और ना ही इन दोनों के द्वारा उनके पिताजी को मारपीट किया गया था।

साक्षी के पिताजी काफी बीमार रहते थे एवं काफी बीमारी से ग्रसित थे और खुद से गिर गये थे जिसके चलते बुरी तरीके से जख्मी हो गये । इसके पूर्व में भी दो बाद खुद से गिर गये थे। तब ईलाज करवाया गया था। घटना के दिन तौहीद अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में था। फर्दबयान पर क्या लिखा गया था साक्षी को पढ़ कर नहीं सुनाया गया था । सिर्फ उनका दस्तखत लिया गया था। साक्षी को सिर्फ दस्तखत करना आता है, पढ़ना नहीं आता है।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या– 2 ए. अहाद (डॉक्टर) ने अपने मुख्य परीक्षण में** बताया है कि On 17.03.2018 he was posted at Sadar Hospital Purnea and on the same day he along with Dr. JP yadav and Dr. B Raman did postmortem examination on the dead body of Md. Ismile, aged about 68 yrs, S/o of Late Jall Mohamad, R/o Islam nagar Madhav para, P.S K.Hat dist Purnea, at about 5:10 P.M. Dead body was brought by Constable 481, Md. Dilshad and one of the family member Abdul Rajak. On examination facts found were as under:

External Examination- Rigor mortise found on all the four limbs. An abrasion on nose about 2x2 inch and there was nasal bleeding. An abrasion on left side of forehead above eye of size 2x2 inch.

On Dissection:- Head- blood and clot found under skin of abrasion side. Blood and clot are found in crainal cavity.

Neck:- Nothing Abnormal detected.

Chest:- Lung found pale.

Heart:- Right chamber full of blood and left chamber found empty.

Abdomen:- Stomach contained semi digested food material.

Small and large intestine contained facal matter and gases.

Urinary bladder found empty.

Liver, spleen and kidney found pale

Time elapse since death:- within 48 hours of examination.

Cause of death:- Due to haemorrahage and shock due to above mentioned injury.

This postmortem report was prepared by Dr. B. Raman in their presence and bears signature of Dr. B Raman, himself and Dr. J.P Yadav. He was full acquainted with the writing of Dr. B. Raman and signature of everyone put on the P.M.R. **Marked Exhibit 2.**

बचावपक्ष के ओर से इन्होंनें अपने प्रतिपरीक्षण में बतायें हैं कि No such MI with respect to deceased had been mentioned in PMR. It was possible that such injuries might occur due to falling on hard surface also. It was denied that the PM was not conducted scientifically and was very much erroneous and could not lead to

any inference whatsoever.

10. उभयपक्षों का बहस

विद्वान अपर **लोक अभियोजक** का कथन है कि अभियुक्तों द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति की है और बचावपक्ष ने अपनी सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में अभियुक्तों की दोषसिद्धि कर उन्हें सजा दिलाना न्यायोचित होगा।

दूसरी तरफ **सफाईपक्ष** के विद्वान अधिवक्ता समर्पित करते हैं कि अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी साक्षी ने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही अभियोजन द्वारा किसी भी प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य कराया गया है जिसने अभियोजन के कथांनक का पूर्ण समर्थन किया हो। बिना किसी युक्ति युक्त कारण के आरोप पत्र पर नामित सभी साक्षियों का साक्ष्य नहीं कराया गया है पयाप्त अवसर के वावजूद अभियोजन स्वयं के द्वारा परीक्षित किसी साक्ष्य ने अभियोजन के कथानक (जो केवल संदेह के आधार पर तथा आक्रोश में तैयार किया गया प्रतित होता है) का समर्थन नहीं किया है। चुँकि घटना का मुलभूत आधार ही स्थापित नही था अतः बचावपक्ष के ओर से कोई सफाई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में विधिक **साक्ष्य के अभाव में** विचारणाधीन अभियुक्तों को रिहा किया जाय।

11. विवेचना, निष्कर्ष तथा उसका कारण

सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया। उपरोक्त परिस्थितियों में सफाईपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को से सहमत होने के लिए न्यायालय बाध्य प्रतीत होता है। कथित आरोप का स्वीकृत तौर पर कोई ऐसा स्वतंत्र साक्षी/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परीक्षीत नही कराया गया है जिसने अभियोजन के सम्पूर्ण कथानक का समर्थन किया हो। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यो की ही विवेचना सम्भव है जो निम्नवत हो सकती है तथा उनपर विश्वास करते हुए यह माना जा सकता है किः–

अभियोजन साक्षी संख्या 1 जो स्वंय सूचक है ने घटना को नहीं देखे जाने की बात की है अपने साक्ष्य के कंडिका 1 में । पुनः प्रतिपरिक्षण के दौरान कंडका 7 में साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घटना में दोनों अभियक्तों का हाथ नहीं है ना ही इनके द्वारा किसी प्रकार का मारपीट किया गया था और कंडिका 9 में यहां तक कहा है कि घटना के दिन अभियुक्तगण वहां थे ही नहीं और तौहीद अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में था। कंडिका 10 में आगे कहा गया कि फर्द बयान जो औपचारिक प्राथमिकि का आधार है में लिखि बातों की उन्हें जानकारी भी नहीं है क्योंकि वह सिर्फ दस्तखत करना जानते है पढ़ना लिखना नहीं और उन्हें कुछ भी पढ़ कर सुनाया नहीं गया था।

अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने य्द्यपी की मृत्यु का कारण जख्मों के द्वारा उत्पन सदमा और हैमरेज बताया है परंतु कंडिका 3 में यह कहा है कि ऐसा चोट गिरने से भी हो सकता है जिस बाद कि तसदीक अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य के कंडिका 8 में भी किया है।

किसी कथित अनुसंधान पदाधिकारी का भी साक्ष्य नहीं कराया गया हैं ना ही बिना किसी युक्ति युक्त कारण के, पर्याप्त अवसर के वावजूद आरोप पत्र में नामित सभी अन्य साक्षियों का साक्ष्य कराया गया ।

12. इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन वाद विधिक साक्ष्य के अभाव में, सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे, सिद्ध होने में असफल रहा है। अतः न्युनतम रूप से अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

13. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितीयों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर न्यायालय पाती है कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त उल्लिखित अभियुक्तगण 1. तौहीद आलम एवं 2. रौशन खातुन को धारा 302/34 भा0.द0.वि0. के कथित अपराध को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है।

आदेश

अतः ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त उल्लिखित अभियुक्तगण 1. तौहीद आलम एवं 2. रौशन खातुन को धारा 302/34 भा0.द0.वि0. के आरोप से, पर्याप्त विधिक साक्ष्य के अभाव में, दोषी नहीं पाते हुए, संदेह का लाभ देते हुए, दोषमुक्त किया गया है और तद्नुसार उन्हें रिहा करने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्तगण 1. तौहीद आलम एवं 2. रौशन खातुन, चूकिं जमानत पर है, अतः उन्हें उनके बंधपत्रों के दायित्वों से भी उन्मोचित किया जाता है।

14. प्रतिकर के बिंदु पर अभियोजन की ओर से या सूचक के पक्ष से कोई तथ्य नहीं रखा गया ना ही कोई सुनवाई की गई एवं स्वंय सूचक के द्वारा भी अभियोजन के कथानक का पूर्ण समर्थन नहीं किया गया । इन परिस्थितियों में प्रतिकर के बिंदु पर अग्रतर विवेचना आवश्यक नहीं प्रतीत होती है।

15. कार्यालय निर्णय की एक प्रति जिला दंडाधिकारी, पूर्णियॉ को द.प्र.सं. की धारा 365 के अनुपालन के अंतर्गत प्रेषित करें।

16. कार्यालय समयोपरांत वाद के अभिलेख को अभिलेखागार में प्रेषित करें।

शुद्धित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।

ह0/–
(देशमुख)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ, दिनांक 29.07.2026

शुद्धित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।

ह0/–
(देशमुख)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ, दिनांक 29.07.2026

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पूर्णियाँ।
सरकार बनाम ताहीद आलम एवं अन्य

P.O- Deshmukh, DASJ II[nd], Purnea. सत्रवाद संख्या 475/2024
निर्णय की तिथी :– 29.07.2026 सी0आई0एस संख्या 475/202
के. हाट (सहायक) थाना काण्ड संख्या 165/2018 से जनित

Appendix/सूची

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची :–
क. अभियोजन साक्षी

पद	नाम	साक्षियो की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य,विशेषज्ञ साक्ष्य, मेडिकल साक्ष्य, पंच साक्ष्य,अन्य साक्ष्य)
अभियोजन साक्षी सं0 1	अब्दुल रजाक	सूचक
अभियोजन साक्षी सं0 2	डॉ ए. अहाद	डॉक्टर

ख. बचाव पक्ष–शून्य
ग. न्यायालय साक्ष्य–शून्य

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्शो की सूची :–
क. अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श संख्या	विवरण
प्रदर्श–P.1	फर्दबयान पर सूचक का हस्ताक्षर।
चिन्ह् - X	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की कार्बन कॉपी।
प्रदर्श– 2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

ख. बचाव पक्ष प्रदर्श–शून्य
ग. न्यायालय प्रदर्श–शून्य
घ. वस्तु प्रदर्श –शून्य

ह0/–
(देशमुख)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियाँ।
दिनांक 29.07.2026